FORM NO. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान : मोहनलाल **बनाम** चेतनराम वगैरहा

किस्म मुकदमा : **वाद पत्र धारा 188, 207, 209 आर.टी.एक्ट** प्र.सं. 150 सन्. 18

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्ज जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
18	आज यह पत्रावली वादी द्वारा जरिये वकील वाद पत्र धारा 188, 207, 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गयी। दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 9.10.18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	
9.10.18	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 व 5 की ओर से श्री जगदीश सिंह बराड़ Adv ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया, शामिल मिसल रहे। पत्रावली तलबी इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 12.12.18 को पेश हो।	
12.12.18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। ~~बार संघ के कार्य स्थगित रहा।~~ पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/~~अवकाश पर/भ्रमण पर~~ है। पत्रावली आईन्दा कार्यवाही दिनांक 20.2.19 को पेश हो।	
20.2.19	उभय पक्ष उप.। प्रतिवादी 2 ता 4 की रजि. तलबी आज ही पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी जवाब प्रवा प्रति. 1 व 5-6 दिनांक 16.4.19 को पेश हो।	
16/4/19	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप.। वादी मोहनलाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 23 नियम 01 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया, शामिल मिसल रहे। वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद को मौजिज व्यक्तियों की सहमति से राजीनामा हो गया है, प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, इसलिये उक्त वाद पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया चूंकि प्रार्थी स्वयं राजीनामा हो जाने से वाद पत्र खारिज करवाना चाहता है, अतः वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	मोहनलाल

Scanned by CamScanner